



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092026-275994
CG-DL-E-05092026-275994

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4687]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948

No. 4687]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

का.आ. 4874(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 965 जी के 00/000 कि.मी. से 44/784 कि.मी तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन पेव्हड शोल्डर का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन (21) के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप समक्ष प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी जत. को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपाकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधी व्यवसायी व्दारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश व्दारा या तो आक्षेपो को अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में सांगली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 965 जी के 00/000 कि.मी. से 44/784 तक के भुखण्ड (सांगोला से जत खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सांगली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जत					
गांव का नाम: शेगांव					
1	865	निजी	कृषि	0.0056 (हेक्टेयर)	0.0056
कुल योग					0.0056

[फा. सं. 12037/44/2017-MAH-P6/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

S.O. 4874(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening of 2/4 lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 965G in the stretch of land from Km. 00/000 to Km. 44/784 of Sangola to Jath of National Highway No 965G in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one(21) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisional Officer Jath** in the state of Maharashtra, in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land from Km. 00/000 to Km. 44/784 of National Highway No 965 G in the stretch of Sangola to Jath in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: SANGLI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jath					
Village: Shegaon					
1	865	Private	Agriculture	0.0056 (Hectare)	0.0056
Total					0.0056

[F. No. 12037/44/2017-MAH-P6/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director